

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी  
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-627 / 09  
संस्थापित दिनांक-31.12.2009  
Fillingh no. 235103000072009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
<b>विरुद्ध</b>
1- प्रदीप रघुवंशी पुत्र हरीसिंह रघुवंशी उम्र 42 साल निवासी- सिसौदिया कॉलोनी गुना 2- आशीष रघुवंशी पुत्र रंधीर सिंह उम्र 32 साल निवासी- शाजापुर तिगरी नईसराय .....आरोपीगण 3- कल्ला कुशवाह पुत्र देवीसिंह उम्र 27 साल निवासी- आमखेडा आरोन 4- रघुवीर सेन वि० भगवत सिंह उम्र 32 साल निवासी- नया बस स्टेण्ड संय कॉलोनी अशोकनगर म०प्र० .....फरार

**-: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 11.09.2017 को घोषित)**

**01-** आरोपीगण के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 379 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 05.06.09 को ग्राम नयाखेडा फिल्टर प्लांट पर फरियादी महेन्द्र कुमार (सहायक यंत्री) के स्वामित्व एवं आधिपत्य के सी.आई पाईप 82 नग बिना उसकी सहमति से बेईमानी पूर्वक स्वयं को सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से चोरी किये।

**02-** प्रकरण में अवलोकनीय है कि आरोपी **कल्ला एवं रघुवीर** की अनुपस्थिति के कारण उन्हें प्रकरण में दिनांक 20.07.2017 को **फरार** घोषित किया गया है और यह निर्णय आरोपी प्रदीप रघुवंशी एवं आशीष रघुवंशी के संबंध में पारित किया जा रहा है।

**03-** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी महेन्द्र कुमार उमरिया सहायक यंत्री पी.एच.ई उपखण्ड मुंगावली ने एक लेखिये आवेदन इस आशय का पेश किया कि चंदेरी आवर्धन योजना के पाईप नयाखेडा फिल्टर प्लांट पर 928 नग जो कि श्री

**// 2 // दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-627 / 09**

जी.के.रत्ना उपयंत्री के पजेशन में थे, उसने पाईप चोरी होने की सूचना कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य खण्ड अशोकनगर से मिलने पर दिनांक 06.06.09 को प्रातः 9 बजे चंदेरी के प्रभारी उपयंत्री श्री जी.के.रत्ना के साथ नयाखेडा फिल्टर प्लांट साईट के पाईपो को निरीक्षण एवं गणना में पाया गया कि विभाग के रखे 928 पाईप में से 82 नग पाईप (442-80 मी0) कम पाये गये, निरीक्षण के दौरान ग्राम नयाखेडा कि सरपंच से मिली जानकारी में बताया कि दिनांक 05.06.09 को वाहन क्रमांक आरजे14 जी 8197 एवं एमपी33 एच 0979 से रघुवीर सैन झाइवर पुत्र भवर सिंह सेन निवासी नया बस स्टेड शंकर कॉलोनी अशोकनगर, कल्ला पुत्र देवीसिंह निवासी आमखेडा खिरिया गुना, आशीष पुत्र रणधीर निवासी शाजापुर विकाशखण्ड ईशागढ अशोकनगर व अन्य साथियों के साथ पाईप चोरी करके ले गये थे। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

**04—** अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-**

<b>1.</b>	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 05.06.09 को ग्राम नयाखेडा फिल्टर प्लांट पर फरियादी महेन्द्र कुमार (सहायक यंत्री) के स्वामित्व एवं आधिपत्य के सी.आई पाईप 82 नग बिना उसकी सहमति से बेईमानी पूर्वक स्वयं को सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से चोरी किये ?
-----------	---

**: : सकारण निष्कर्ष : :**

**06—** सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान से उपरोक्त सामान चोरी हुआ ? इस संबंध में महेन्द्र कुमार अ.सा.01 का कथन है कि घटना दिनांक 05.06.2009 की है। उस समय वह प्रशिक्षण में ग्वालियर गया था और उसे कार्यपालन यंत्री के मोबाईल पर सूचना दी थी कि आपकी योजना के दो ट्रक पाईप चंदेरी से चोरी हो गये हैं। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके द्वारा चंदेरी के प्रभारी यंत्री जी.के.रत्ना को साथ लेकर उस स्थान पर गये जहां पर पाईप रखे हुए थे। उक्त पाईप नया खेडा फिल्टर प्लांट के पास सुरक्षित रखे थे। वहां पर पाईपो की गिनती करने पर उसमें 82 पाईप कम पाए गये, जबकि वहां 928 पाईप होना चाहिए थे। चोरी गये पाईपो की खरीदी पी.सी.पांचाल प्रभारी कार्यपालन यंत्री के समय में हुई थी और उक्त पाईप लघु उद्योग विभाग के माध्यम

से पी.एच.ई विभाग द्वारा कय किये गये थे। महेन्द्र कुमार अ.सा.01 की उक्त बात का समर्थन जी.के.रत्रा अ0सा02 द्वारा श्री किया गया है, जिसमें उन्होंने भी घटना स्थान पर 82 पाईप कम होने वाली बात का उल्लेख किया है।

**07—** महेन्द्र कुमार अ0सा01 ने चोरी गये पाईपो के संबंध में प्र.पी. 1 का लेखिये आवेदन स्वयं की हस्तलिपि में थाना प्रभारी चंदेरी को दिया जाना व्यक्त किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.2 के ए से ए भाग पर भी उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी के कथनो की समपुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 से भी होती है। प्रतिपरीक्षण में उपरोक्त साक्षी महेन्द्र कुमार अ. सा.01, जी.के.रत्रा अ0सा02 के चोरी होने से संबंधित एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 लेखबद्ध कराये जाने से संबंधी कथन सारतः अखंडनीय रहें हैं। अतः उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना, समय व स्थान पर प्रश्नगत 82 पाईप की चोरी हुई थी।

**08—** अब यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या उक्त प्रश्नगत सामान ही पुलिस द्वारा बरामद किया गया ? इस सम्बंध में जे.एन.पालीवाल तत्कालीन तहसीलदार अ0सा08 द्वारा उनके कथनो में बताया कि वह दिनांक 05.06.2009 को अशोकनगर से वापस आते समय रास्ते में नयाखेडा पम्प हाउस पर चैकिंग के लिये गये थे वहां पर एक ट्रक में पाईप भरकर ग्वालियर ले जाया जा रहा था, इसके संबंध में उक्त साक्षी द्वारा एस.डी.एम. एस.सी.तिवारी को बताने पर उनके आदेशानुसार उक्त ट्रक को मय 14 पाईप 20 फीट लम्बाई एवं 8 इंच गोलाई के 14 पाईप ट्रक सहित थाने में रखवाया गया था, जिसके संबंध में उक्त साक्षी द्वारा प्र.पी. 13 का पत्र लेख किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

**09—** बी.पी.तिवारी अ0सा07 ने उसके कथनो में बताया कि आरोपी रघुवीर सेन से एक ट्रक नम्बर आरजे 14 2जी 8197 जिसमे 14 नग लोहे के पाईप भरे हुए थे, ट्रक का रजिस्ट्रेशन, परमिट, बीमा जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.8 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके अलावा विवेचना के दौरान उसके द्वारा ग्राम नयाखेडा के पास रोड से 53 पाईप आईएसआई मार्क छपे मिले थे, जिन्हें विधिवत जप्त कर उपयंत्री गुलशन रजक, चौकीदार लक्ष्मीनारायण को सुपुर्द कर दिया था जप्ती पंचनामा प्र.पी.11 है। यद्यपि वर्तमान प्रकरण में प्र.पी.11 की जप्ती के अनुसार जो 53 फाईल जप्त किये हैं उसके संबंध में कोई चोरी होना लेख नहीं है, इसलिये प्र.पी.11 की जप्ती से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

**10—** यद्यपि वर्तमान प्रकरण में प्र.पी. 8 के अनुसार जप्त किये गये 14 नग लोहे के पाईपो के संबंध में शिनाख्तगी की कार्यवाही नहीं की गई है किन्तु महेन्द्र कुमार अ0सा01 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 12 में बताया कि जो पाईप चोरी गये थे वे विभाग को वापस मिल गये हैं और जो पुलिस द्वारा विभाग को वापस कर दिये गये हैं। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सूझाब से स्पष्टतः इंकार किया है कि जैसे

पाईप चोरी गये थे वैसे पाईप बाजार में मिल जाते हैं। उक्त साक्षी ने यह भी बताया कि जो पाईप चोरी गये थे उनपर विभाग द्वारा सफेद कलर से पेंट किया गया था। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथनो से स्पष्ट है कि चोरी गये जैसे पाईप बाजार में आसानी से नहीं मिलते हैं और चोरी गये पाईपो पर विभाग की तरफ से सफेद कलर का पेंट किया गया था जिससे प्रकरण में प्र.पी.8 के अनुसार जप्तशुदा 14 लोहे के पाईप की शिनाख्तगी न किये जाने से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है और महेन्द्र कुमार अ0सा01 के कथनो से यह स्पष्ट होता है कि चोरी गये पाईप भी प्रकरण में प्र.पी.8 के अनुसार पुलिस द्वारा जप्त किये गये हैं।

**11—** अब यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या उक्त चोरी हुआ सामान अभियुक्तगण से जप्त किया गया था ? इस सम्बंध में अभियुक्त प्रदीप एवं आशीष के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि जिससे यह दर्शित हो कि चोरी गया सामान अभियुक्त प्रदीप एवं आशीष से जप्त किया गया था। वर्तमान प्रकरण में महेन्द्र कुमार अ0सा01 द्वारा एक लेखिये आवेदन प्र.पी.1 आरोपी कल्ला, आशीष रघुवंशी एवं रघुवीर के नाम से नगर निरीक्षक चंदेरी को दिया गया था जिसके आधार पर उक्त तीनों आरोपीगण के विरुद्ध प्र.पी. 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी।

**12—** विवेचना अधिकारी बी.पी.तिवारी अ0सा07 ने उसके कथनो में बताया कि उसके द्वारा अ0क0 178/09 धारा 379 भा0द0वि0 की विवेचना की थी, जिसमें फरियादी महेन्द्र कुमार एस.डी.ओ. पीएचई की निशानदेही पर घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी.3 तैयार किया था और साक्षी महेन्द्र कुमार एवं गुलशन रजक के कथन लेखबद्ध किये थे और विवेचना के दौरान आशीष रघुवंशी एवं अन्य अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 5, 6, 7 तैयार किया था। उक्त साक्षी का कहना है कि विवेचना के दौरान आरोपी आशीष रघुवंशी ने सूचना मेमो के आधार सूचना दी थी जिसमें ट्रक क0 आरजे14 2जी 8197 में 14 लोहे के पाईप फिल्टर प्लांट से ट्रक में भरकर ले जाने की सूचना दी थी।

**13—** वलवीर सिंह अ0सा09 ने उसके कथनो में बताया कि दरोगा जी ने उसके समक्ष आरोपी आशीष से पूछताछ की थी जिसमें उसने यह बताया था कि प्रदीप रघुवंशी सिसोदिया कॉलोनी गुना के कहने पर नयाखेडा चंदेरी से 14 पाईप ट्रक से लेकर अशोकनगर तरफ ले जा रहे हैं। सूचना मेमो प्र.पी. 9 पर स्वतंत्र साक्षी जहूरशाह ने उसके समक्ष आरोपी आशीष से पूछताछ न होना बताया है और गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 5 लगायत 7, जप्ती पंचनामा प्र.पी. 8, मेमो प्र.पी.9 और सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 10 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया किन्तु उक्त साक्षी ने उसके समक्ष कोई जप्ती गिरफ्तारी और आरोपी द्वारा कोई जानकारी न देना व्यक्त किया। जिससे साक्षी जहूर शाह की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

**14—** प्रकरण में आरोपी प्रदीप को किस आधार पर अभियुक्त बनाया गया है इस संबंध में केवल धारा 27 साक्ष्य विधान का मेमो प्र.पी.9 अभिलेख पर है जिसमें आरोपी आशीष ने आरोपी प्रदीप रघुवंशी का नाम बताया है और इसके आधार पर पुलिस द्वारा प्रदीप को अभियुक्त बनाया है। स्वयं आरोपी प्रदीप का कोई कथन धारा 27 साक्ष्य विधान के अन्तर्गत अभिलेख नहीं है, अन्य अभियुक्त आशीष द्वारा दिये गये मेमो धारा 27 साक्ष्य विधान के आधार पर प्रदीप को आरोपी बनाया गया है। उक्त तथ्य धारा 27 साक्ष्य विधान के अन्तर्गत सुसंगत नहीं है और इस आधार पर केवल आरोपी आशीष के धारा 27 के मेमो एवं स्वयं अभियुक्त प्रदीप के धारा 27 के मेमो के अभाव में एवं कोई स्पष्ट साक्ष्य अभियुक्त प्रदीप के संबंध में न होने से अभियुक्त प्रदीप को प्रकरण में संलिप्त किया जाना विधि अनुसार नहीं है। इसके अलावा न्याय दृष्टांत **पप्पू वि० स्टेट, 2000(2) जे.एल.जे 391** में यह प्रतिपादित किया गया है कि एक अभियुक्त की सूचना पर किसी तथ्य का पता लगने पर उसी के विरुद्ध उसका उपयोग किया जा सकता है, उस सूचना का उपयोग दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। उक्त विवेचना एवं न्याय दृष्टांत के आधार पर अभियुक्त प्रदीप के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

**15—** आरोपी प्रदीप एवं आशीष रघुवंशी के संबंध में अभियोजन कहानी में कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और अभियुक्त आशीष के विरुद्ध अभियोजन का प्रकरण मेमोरेडम प्र.पी.9 पर आधारित है कि अभियुक्त ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि मैं, कल्ला व रघुवीर ट्रक नं० आरजे14-2जी-8197 को लेकर नयाखेडा आए और वहां से हमने उक्त ट्रक में 14 लोहे के पाईप फिल्टर प्लांट से भरकर ले जा रहे थे जिसे तहसीलदार साहब ने पकड़ लिया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 व 26 की प्रावधानों के अपवाद के रूप में है और इस आशय के है कि यदि किसी अभियुक्त द्वारा दी गई किसी जानकारी के आधार पर कोई नवीन तथ्य प्रकट हुआ हो तो उस जानकारी का उतना भाग चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आता हो अथवा नहीं, अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप वह नवीन तथ्य प्रकट हुआ हो। अभियुक्त आशीष द्वारा पुलिस अभिरक्षा में जिन 14 पाईपों को ले जाने के संबंध में मेमो दिया गया था उसके आधार पर उससे कोई जप्ती नहीं की गई तथा उक्त चोरी गये 14 पाईप तत्कालीन तहसीलदार जे.एन.पालीवार द्वारा दिनांक 05.06.2009 को ही मय ट्रक उक्त 14 पाईप थाना चंदेरी पर अस्थायी सुपुर्दगी पर थाने को सौंप दिये गये थे, जबकि विवेचना अधिकारी बी.पी.तिवारी अ०सा०7 द्वारा मेमो प्र.पी. 9 दिनांक 08.06.2009 को लिया गया था, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी आशीष द्वारा भारतीय साक्ष्य विधान की धारा 27 के मेमो दिये जाने के पूर्व ही तत्कालीन तहसीलदार द्वारा उक्त चोरी गये 14 पाईप को थाना चंदेरी में सुपुर्दगी पर दे दिया था और अभियुक्त आशीष द्वारा दिये गये धारा 27 साक्ष्य विधान के मेमो प्र.पी. 9 के आधार पर पुलिस द्वारा कोई जप्ती नहीं की गई थी।

**16—** इस स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी अपराध के अभियुक्त द्वारा दी

गई किसी जानकारी या सूचना के आधार पर यदि किसी नवीन तथ्य का प्रकटीकरण ही नहीं हुआ हो या प्रकट हुआ तथ्य पूर्व से ही पुलिस की जानकारी में हो तो ऐसी दशा में इस प्रकार की सूचना या जानकारी को अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता है। यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत विजेन्द्र विरुद्ध स्टेट ऑफ़ देहली 1997 (1) सी.सी.आर. 212 सुप्रीम कोर्ट में प्रतिपादित इस आशय का सिद्धांत अनुकरणीय है कि यदि वह तथ्य पहले ही प्रकट हो चुका हो जिसके बारे में अभियुक्त ने जानकारी दी है तो ऐसी जानकारी को अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के अंतर्गत साबित नहीं किया जा सकता है। यहां माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत कमल किशोर विरुद्ध स्टेट 1997 (2) काइम्स 169 दिल्ली में प्रतिपादित यह सिद्धांत भी अनुकरणीय है कि यदि अभियुक्त द्वारा किये गये कथन के आधार पर ऐसे किसी तथ्य का प्रकटीकरण ही नहीं हुआ हो जो पुलिस को पहले से ज्ञात नहीं हो तो अभियुक्त का ऐसा कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा और उसे अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता है।

17— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मेंमोरेण्डम प्र.पी.9 में वर्णित अभियुक्त आशीष द्वारा दी गई जानकारी का उतना भाग ही अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकता है जितने भाग के फलस्वरूप ऐसे किसी नवीन तथ्य का प्रकटीकरण हुआ हो जो पुलिस को पहले से ज्ञात नहीं हो। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि यदि यह देखा जाना है कि मेंमोरेण्डम प्र.पी.9 में वर्णित अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी का कितना भाग अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकता है तो सर्वप्रथम यह देखना होगा कि मेंमोरेण्डम प्र.पी.9 में वर्णित अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के बाद कौन सा नवीन तथ्य प्रकट हुआ है।

18— मेंमोरेण्डम प्र.पी.9 में वर्णित जानकारी या कथन या उसके किसी भाग के आधार पर ऐसा कोई नवीन तथ्य प्रकट ही नहीं हुआ है जो पहले पुलिस की जानकारी में नहीं रहा हो और इसके विपरीत यह प्रकट होता है कि प्रकरण में प्र.पी. 8 के अनुसार जप्तशुदा सम्पत्ति पूर्व से ही थाना चंदेरी की सुपुर्दगी पर होने संबंधी तथ्य पहले से ही पुलिस की जानकारी में था। यदि मेंमोरेण्डम प्र.पी.9 में वर्णित अभियुक्त आशीष के कथन के आधार पर उक्त 14 पार्स की जप्ती होती तो फिर यह माना जा सकता था कि अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एक नवीन तथ्य का प्रकटीकरण हुआ है और फिर उस स्थिति में इस मेंमोरेण्डम प्र.पी.9 में वर्णित अभियुक्त आशीष के कथन का उतना भाग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकता था जितने भाग के फलस्वरूप उक्त नवीन तथ्य का प्रकटीकरण होता किन्तु जहां कोई नवीन तथ्य प्रकट नहीं हुआ है वहां इस मेंमोरेण्डम प्र.पी.9 में वर्णित अभियुक्त के कथन या उसके किसी भाग को अभियुक्त के विरुद्ध साबित ही नहीं किया जा सकता है।

19— अब चूंकी मेंमोरेण्डम प्र.पी.9 में वर्णित अभियुक्त आशीष के कथन पर विचार

किया जावे तो यह स्पष्ट है कि उस कथन के आधार पर ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि जिसके कारण यह माना जा सके कि मेमोरेण्डम प्र.पी.9 में वर्णित अभियुक्त का कथन सत्यपूर्ण है। जैसा कि उपर विवेचना की गई है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान वास्तव में इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि यदि अभियुक्त द्वारा दी गई किसी जानकारी या सूचना के आधार पर किसी नवीन तथ्य का प्रकटीकरण होता है तो इस प्रकार का प्रकटीकरण उस जानकारी की सत्यता को सुनिश्चित करता है और इसीलिए इस प्रकार की सत्यपूर्ण जानकारी या सूचना को अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकता है।

**20—** इस प्रकरण में घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और अभियुक्त प्रदीप व आशीष के विरुद्ध अभियोजन का प्रकरण मेमोरेण्डम प्र.पी.9 से प्रकट होने वाली परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर ही आधारित है। यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित संहिता की धारा 380 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के मामले में अर्थात् चोरी के अपराध के मामले में न्याय दृष्टांत चरन सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ यू.पी. ए.आई.आर.1967 सुप्रीम कोर्ट 520 में प्रतिपादित यह सिद्धांत भी अनुकरणीय है कि जहां मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो वहां सभी परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए और इस प्रकार से स्थापित हुई परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के दोषी होने का निष्कर्ष देने वाली ही होनी चाहिए और इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त अन्य सभी परिकल्पनाओं को समाप्त कर दें और परिस्थितियों की श्रृंखला इस प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त के निर्दोष होने की संभावनाओं को दर्शित करने वाला कोई आधार शेष नहीं रहे। यह सिद्धांत इस न्याय दृष्टांत में निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है —

"5. It is well established that in cases where the evidence is of a circumstantial nature, the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should, in the first instance, be fully established, and the circumstances so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused person, that is, the circumstances should be of such a nature as to reasonably exclude every hypothesis but the one proposed to be proved. To put it in other words the chain of evidence must be so far complete as not to leave any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused person.-----".

**21—** इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त प्रदीप व आशीष के विरुद्ध संहिता की धारा 379 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप को प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और मेमोरेण्डम प्र.पी.9 में वर्णित अभियुक्त आशीष के जिस कथन या अभियुक्त द्वारा दी गई जिस जानकारी पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का प्रकरण आधारित है उस कथन या जानकारी को अभियुक्त के विरुद्ध साबित ही नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में अभिलेख पर

**// 8 // दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-627 / 09**

उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त प्रदीप व आशीष के विरुद्ध अभियोजन का प्रकरण समस्त युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित नहीं होता है।

**22—** परिणामस्वरूप अभियोजन अभियुक्त प्रदीप व आशीष के विरुद्ध अभियोजन मामला समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः प्रदीप व आशीष को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से उसे दोषमुक्त किया जाता है और इस प्रकरण में अभियुक्त प्रदीप व आशीष को स्वतंत्र किया जाता है।

**23—** अभियुक्त प्रदीप एवं आशीष द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**24—** प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक क्र0 आरजे 2जी 8197 एवं 14+53 = 67 पाईप पूर्व से सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदारों के पक्ष में अपील अवधि पश्चात भारमुक्त समझा जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

**25—** अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0